केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60051 दिनांक: 03.04.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50147

अपीलकर्ता : श्री आशीष यादव,
43 चन्द्र नगर टगर,
पो0 - मांगेला, कटंगी रोड,
जबलपुर - 482002.

निर्णय की तारीख: 03.04.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	29.03.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, करमेता, जबलपुर शाखा में सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना पटल नहीं लगे होने पर केन्द्रीय सूचना आयोग बैंक के उक्त शाखा पर क्या कार्यवाही करेगा" से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 01.03.2019 के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/2019/50147 के संदर्भ श्री **श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।